

6-4-22

पत्रावली आज पेश हुई। वकील
वादी अनुपस्थित। न्यायालय समय
में रुक रुक कर बार-बार आगे
लगावाची गयी। परन्तु ना तो वादी
वकील और ना ही स्वयं वादी
उपस्थित हुये। आज पत्रावली
सिविल प्रक्रिया सौदाला के आदेश
9 नियम 3 (अदम पैसी अदम एजरी)
के तहत रखाई की जाती है।
पत्रावली फैसल में शुमार होकर
से कम की जाकर दाखिल दफतर
हो।

उप जिला कोर्ट
चंडीगढ़

